

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम श्रीरामगंज के खाता सं. 70, 203, 204 खसरा नं. 224, 291 में आवेदन ^{3021, 221, 222, 223, 225} पत्र अनुसार हरिकिशन पुत्र रामकरणदास, हरिकिशन चैला, रामकरणदास ^{हरिकिशनदास-चैला रामकरणदास के स्थान} शुद्धि किये जाने के पर हरिकिशनदास ^{पुत्र रामकरणदास} आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चत करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत श्रीरामगंज में दिनांक 28/3/25 को मजमेअम में सुनाया गया।



28/3/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी